219

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

संपतलाल तनय सरजू प्रसाद ब्राहम्ण
निवासी ग्राम अमा तह. शाहनगर जिला पन्ना .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

संजय कुमार तनय रामसेवक ब्राहम्ण
निवासी रमपुरा तह. हटा जिला दमोह .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्र 482/अ–27/15–16 में पारित आदेश दिनांक 04/04/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रमपुरा स्थित भूमि खसरा क्र 341 रकवा 10.24 हेक्टेयर भूमि निगरानीकर्ता के भूमिस्वामी स्वामित्व व स्वत्व की भूमि है जिस पर अनावेदक द्वारा निगरानीकर्ता के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर संपूर्ण भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया था जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी हटा द्वारा विधि सम्मत् आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि पर पुनः निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा दिनांक 4/4/16 को विधि विपरीत एंव एकपक्षीय रूप से भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाए जाने का विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 17/19/ज/16 .... जिला दमोह ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क सुने। 2— मैनें प्रकरण का आवलोकन किया एवं आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 482/अ—27/2015—16 मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 04/04/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि ग्राम रमपुरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 341 भूमि आवेदक की एकाकी खाते की भूमि है जिस पर अनावेदक द्वारा फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया गया था। जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हटा जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। 4— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। अपर आयुक्त सागर द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना भूमि के कय विकय पर रोक लगाये जाने का आदेश पारित किया है जो मेरे मत अनुसार विधिसम्मत नहीं है। अतएव अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.04.2016 निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को आदेशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में लंबित उक्त प्रकरण का निराकरण 3 माह की अवधि के अंदर आवश्यक रूप से करें। तदानुसार प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	